<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 2, मुजफ्फरनगर।</u>

cnr no.upmz040291022023
bail no. 5218/ 2023

11.08.2023

अभियुक्त सोनू पुत्र ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश वाद संख्या 1545/ 9 सन् 12 मु0अ0सं0 378ए सन् 2012 धारा–323,504,506 भा0दं0सं0 थाना चरथावल जिला मुजफ्फरनगर द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा है कि अभियुक्त को पार्टीबाजी और रंजिश के आधार पर झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह पूर्व में सजायफता नहीं है। जमानत की याचना की गई है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया है।

सुना व प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि कि अभियुक्त को वारंट के निष्पादन पर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया तथा न्यायालय द्वारा उसका धारा 309 दं0प्र0सं0 का वारंट बनाकर जिला कारागार भेजा गया। अभियुक्त दिनांक 10.08. 2023 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त है। जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः अभियुक्त को 20,000/–रू0 का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि के दो जमानत प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

प्र0 न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट संख्या 2 मुजफ्फरनगर।